राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1323/2025

मनीष सिंह तोमर

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कृषि एवं पंचायतीराज विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज अवस्थी, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, पंचायत समिति, धौलपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभिंयता जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, पंचायत समिति, केशोरायपाटन में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को स्थानान्तरण आदेश में टीए–डीए दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के लिये कोई अनुरोध नहीं किया था। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप)

नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। हम पाते है कि मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.11(6)मं.मं./2023 जयपुर दिनांक 15.03.2024 के द्वारा कृषि एवं पंचायतीराज मंत्री महोदय को पंचायतीराज विभाग के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित है एवं स्थानांतरण आदेश में भी सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने का अंकित है। जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क कि अपीलार्थी को आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में योगकाल एवं यात्रा भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है, तो हम पाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3371/2024 कन्हैया लाल भामत बनाम निदेशक, निदेशालय पशुपालन, राजस्थान सरकार, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2024 में यह माना है कि इस प्रकार के स्थानांतरण को इस आधार पर गलत होना नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी को टी.ए./डी.ए. प्राप्त होने का अधिकारी नहीं माना गया है। टी.ए./डी.ए. अपीलार्थी को नियमानुसार दिलाया जा सकता है, परंतु स्थानांतरण आदेश को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर गलत होना नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी को टी.ए./डी.ए. का भुगतान नहीं किया गया है।

4. अतः हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश सक्षम अधिकारी स्तर पर अनुमोदित है। ऐसे में हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। इस संबंध में हमारा मत है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। इसके साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी स्वयं द्वारा अपना स्थानांतरण नहीं चाहा गया है तो अपीलार्थी को नियमानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान किया जाये।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष